


कार्यालय आदेश सं०:- 49/2022

श्री हृदयनारायण यादव सहायक शिक्षक इंटर कॉलेज गड़हरा जो दिनांक-07.08.2021 से मेडिकल की सभी कोटियों में अनफिट घोषित हुए हैं, को उनके पत्नी श्री मती अंजू देवी के आवेदन के आलोक में गड़हरा गंगा ब्रिज कॉलोनी स्थित रेल आवास सं०-86'बी', मेडिकल अनफिट तिथि 27.08.2021 से 26.08.2023(24 माह) तक सामान्य किराये पर रोकने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त पर वमंकाधि/सोनपुर का अनुमोदन प्रदान है।


सं०-का/575/आवास/सोनपुर/14/भाग-। दिनांक-14.01.2021.


(रवि कुमार प्रसाद)
सकाधि-।।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/सोनपुर

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 01 वमविप्र/सोनपुर/प्राचार्य इंटर कॉलेज गड़हरा
- 02 वमई/समन्वय/सोनपुर
- 03 मुकार्याधी बिल/मुकार्याधी समापक
- 04 मुकार्याधी/कार्मिक/प्रशासन, समई/बरौनी
- 05 वसेई/कार्य, विधुत गड़हरा
- 06 संबंधित कर्मचारी
- 07मंडल मंत्री ई.सी.आर केयु, अजा-अजजा एशो सोनपुर मंडल



कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/सोनपुर